1— नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 (ख) (2) के अन्तर्गत कार्यकारिणी—समिति के उपसभापति के निर्वाचन का प्रस्ताव कार्यकारिणी—समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	श्रीमती मीरा अग्रवाल, पार्षद के प्रस्ताव पर श्री हेमन्त अग्रवाल पार्षद को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी—समिति का उपसभापति निर्वाचित घोषित किया गया।
2— नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की आख्यानुसार सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग—1 संख्या 3390 /9—1—15—66सा/2001 दिनांक 21 नवम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय अभिकरण मथुरा (डूडा) के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिक रू0 259.04/— प्रतिदिन प्रति सफाई कामगार की दर से 200 सफाई कामगार तीन माह के लिये अनुबन्ध पर रखे गये जिनकी दिनांक 23.01. 2018 को अनुबन्ध एंव आपूर्ति अवधि समाप्त हो गयी है। नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की सीमान्तर्गत की सफाई व्यवस्था देखते हुये 200 सफाई कामगारों को 01 माह बढाने के लिये महापौर, महोदय द्वारा अपनी सहमति प्रदान की जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2017—18 की समाप्ति तक कार्य सीमा बढाये जाने विषयक कार्यकारिणी—समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी—समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत/अनुमोदित।
3— नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा मे सफाईकर्मीयों की कमी एवं शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा सीमान्तर्गत सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था हेतु सचिव,उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग—1 संख्या 3390/9 —1—15—66सा/2001 दिनांक 21 नबम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय अभिकरण मथुरा (डूडा) के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिक रू0 259. 04/— प्रतिदिन प्रति सफाई कामगार की दर से 315 सफाई कामगारों की और आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017—18 की समाप्ति तक किये जाने सम्बधी विषय कार्यकारिणी — समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी—समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत/अनुमोदित।
4— मुख्य अभिंयता (सिविल) नगर निगम मथुरा—वृन्दावन,मथुरा की आख्या कि शहीद मेजर संतोष सिंह के नाम पर राधानगर वार्ड स्थित पार्क मे नलकूप के पास निगम भूमि पर शहीद मेजर संतोष कुमार के नाम पर द्वार का निर्माण कराये जाने एवं उक्त पार्क का नामांकरण शहीद मेजर संतोष कुमार सिंह के नाम पर रखने हेतु कार्यकारिणी—समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी—समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है।

क्रमशः 02

5– महाप्रबन्धक (जल) की आख्यानुसार गोकुल बैराज से पेयजलापूर्ति कार्य हेतु नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,मथुरा द्वारा माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक का भुगतान रू0 06 लाख प्रति माह की दर से रू0 54 लाख का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ0प्र0 जलनिगम, मथुरा को किया जाना है। जिसमें से मार्च 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है। विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है। आंशिक भगुतान किया जाना स्वीकार है।

6– महाप्रबन्धक (जल) की आख्यानुसार नया बस स्टैण्ड, चन्द्रपुरी सीवेज पम्पिग स्टेशन एंव पुराना बस स्टैण्ड पम्पिंग संचालन कार्य नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,मथुरा द्वारा माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक का भुगतान रू0 1.5 लाख प्रति माह की दर से रू0 13.5 लाख का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ0प्र0 जलनिगम, मथुरा को किया जाना है। जिसमें से मार्च 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है। विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है। 6 माह का आंशिक भगुतान किया जाना स्वीकार है।

7– वाद लिपिक नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा की आख्यानुसार वित्त्तीय वर्ष 2018–19 के लिये मा0 उच्च न्यायालय एव जिला न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों मे नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा के वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं को पुनः नियुक्त/ हटाये जाने सम्बधी विषय कार्यकारिणी– समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव पर निर्णय हेतु मा0 महापौर की अध्यक्षता मे समिति का गठन किया जाये।

8– उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–07 के आदेश सं0 1799/नौ–7–8 (सीमाविस्तार)/2016 दिनांक 12.05. 2017 द्वारा नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन के वृहत्तर क्षेत्र को संयुक्त कर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, का गठन किया गया है। नगर निगम के गठन के उपरान्त नगर निगम के कार्यों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु शासन स्तर से विभिन्न विभागों में अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा अन्य अधिकारियों को भी शीघ्र ही तैनात किया जायेगा। नगर निगम के मथुरा एवं वृन्दावन क्षेत्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों की पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को वाहनों की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में नगर निगम के मथुरा एवं वृन्दावन–किसी भी कार्यालय में प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कोई वाहन नही है। नगर निगम का गठन होने के उपरान्त मा0 महापौर एवं अधोलिखित अधिकारियों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है–

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है। शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये।

कमशः 03

1. मा0 महापौर
2. नगर आयुक्त
3. अपर नगर आयुक्त
4. मुख्य अभियंता
5. महाप्रबन्धक जल
6. मुख्य नगर स्वास्थ अधिकारी

उक्तानुसार वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन क्रय किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः नगर निगम कार्यहित में मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन मा0 महापौर एवं उक्त अधिकारियों को वाहन सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करना चाहें जिससे कि मा0 सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव उ0प्र0 शासन में गाडियों को क्रय किये जाने की अनुमति हेतु प्रेषित किया जा सके। विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9– उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–07 के आदेश सं0 1799/नौ–7–8(सीमाविस्तार)/2016 दिनांक 12.05. 2017 द्वारा नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन के वृहत्तर क्षेत्र को संयुक्त कर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, का गठन किया गया है। नगर निगम के गठन के उपरान्त नगर निगम के कार्यों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु शासन स्तर से विभिन्न विभागों में अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा अन्य अधिकारियों को भी शीघ्र ही तैनात किया जायेगा। नगर निगम के मथुरा एवं वृन्दावन क्षेत्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों की पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को वाहनों की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में नगर निगम के मथुरा एवं वृन्दावन–किसी भी कार्यालय में प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कोई शासकीय वाहन नही है। नगर निगम का गठन होने के उपरान्त ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 3 इनोवा एवं 4 बोलेरो गाड़ियां 1 वर्ष हेतु मय ड्राईवर किराये पर ली गई हैं जिनपर क्रमश रू0 15,42,708/– एवं रू0 13,36,800/– व्यय होगा। नगर निगम हित में मा0 महापौर द्वारा 3 माह हेतु उक्त वाहन किराये पर लिये जाने हेतु दिनांक 26.12.2017 को अनुमति प्रदान कर दी है। अतः नगर निगम कार्यहित में मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन उक्त वाहनों को 1 वर्ष तक (अथवा उ0प्र0 शासन से वाहन क्रय की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त नगर निगम में वाहन क्रय किये जाने तक, जो पहले हो) किराये पर लिये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 (15,42,708+13,36,800)= 28,79,508/– की स्वीकृति प्रदान करने सम्बधी विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

10 मुख्य अभिंयता (सिविल) नगर निगम मथुरा – वृन्दावन मथुरा की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा – वृन्दावन, मथुरा के मुख्य कार्यालय के नवीन भवन बनाये जाने हेतु भूतेश्वर जलकल परिसर स्थित नगर निगम भूमि जहॉ पुराने आवास बने है स्थित स्थापित शिलापटिटका वर्ष 1915 का निरीक्षण कर भूमि का चयन किया गया है, वहॉ पर लगभग 5000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल भूमि पर नगर निगम 05 मंजिल कार्यालय भवन बनाये जाने सम्बन्धी विषय कार्यकारिणी– समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ सदन के आगामी अधिवेशन मे रखा जाये।

11– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा की आख्यानुसार तत्कालीन नगर पालिका परिषद, वृन्दावन (मथुरा) के द्वारा पूर्व मे अपने प्रस्ताव संख्या 25 दिनांक 19.01.2013 द्वारा वृन्दावन क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित करने से अवैध रूप से हो रहे अण्डा, मॉस, मछली, शराब आदि पदार्थो की बिक्री पर रोक लग सके। वर्तमान मे शासनादेश संख्या 1079/57–2017–3(20)2017 दिनांक 27 अक्टूबर 2017 द्वारा वृन्दावन क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया जा चुका है। प्रमुख, सचिव के पत्र संख्या 05/ 57– 2018 –3(20)2013 दिंनाक 10 जनवरी 2018 के द्वारा जिला मथुरा की पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद्,वृन्दावन घोषित पवित्र स्थल क्षेत्र मे अण्डा, मॉस, मछली, शराब आदि पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। विषय कार्यकारिणी – समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है। मथुरा नगर हेतु भी उपविधि बनाकर सदन के आगामी अधिवेशन मे रखा जाये।

12– कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम मथुरा – वृन्दावन की आख्यानुसार नगर विकास अनुभाग– 4 की अधिसूचना सं0 1799/नौ–7–17–8 सीमा विस्तार/2016 लखनऊ दिनांक 12 मई 2017 द्वारा सीमा वृद्वि करते हुये पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, मथुरा व नगर पालिका परिषद, वृन्दावन को सम्मलित करते हुये नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा का गठन किया गया है। दोनो नगर पालिकाओं मे वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण के प्रतिशत मे भिन्नता है। इस भिन्नता को समाप्त करते हुये नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा के लिये वार्षिक मूल्याकंन पर निर्घारित किये जाने वाले ग्रहकर, जलकर व सीवर कर को समान किये जाने पर विचार करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विषय अवलोकनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। भवन के वार्षिक मूंल्याकन पर 10प्रतिशत ग्रहकर, 10.5 प्रतिशत जलकर एवं 2.5 प्रतिशत सीवर कर आरोपित किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार है।

13– कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम मथुर– वृन्दावन की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा मे राजकीय/शासकीय कार्यो को संम्पादित करने हेतु 30 कम्प्यूटर आपरेटर के वेतन पर अनुमानित रू0 5,00,000/– प्रतिमाह के व्यय की स्वीकृति हेतु विषय मा0 कार्यकारिणी–समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्थगित किया गया। आगामी कार्यकारिणी बैठक विस्तृत आख्या सहित प्रस्तुत किया जाये।

क्रमशः 05

14— अवर अभिंयता (नजूल) की आख्यानुसार होमगार्ड कार्यालय भवन हेतु होमगार्ड कमाण्डेट मथुरा के पत्र पर अपर जिलाधिकारी मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा की सीमान्तर्गत जो राजस्व अभिलेखों मे ग्राम लोहवन स्थिति खसरा संख्या 297 रकबा 0.105 हेक्टेयर भूमि जोकि कृषि योग्य भूमि अंकित है एंव मौके पर खाली है जिसे होमगार्ड कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है भूमि दिये जाने सम्बधी विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। भूमि सःशुल्क दिये जाना स्वीकार है। प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
15— वाद लिपिक नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा की आख्यानुसार पूर्व मे नगर पालिका परिषद, वृन्दावन के वादो की पैरवी हेतु बोर्ड प्रस्ताव सं0 37 दिनांक 30.04.2013 के अनुपालन मे अधिवक्ता अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त किये गये थे। जिन्हे प्रति अधिवक्ता प्रतिमाह रू0 5,000/– का भुगतान किया जा रहा था। निगम मे नगर पालिका वृन्दावन के सम्मलित होने के उपंरान्त इन अधिवक्ताओं के प्रतिमाह मानदेय नियत करते हुये भुगतान किये जाने सम्बधी विषय कार्यकारिणी–समिति के समक्ष विचारार्थ एव आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। रूपया 5,000/– प्रति अधिवक्ता प्रतिमाह दिया जाना स्वीकार है।
मा0 महापौर महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –	
16— मुख्य अभियन्ता (सिविल) की आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रत्येक वार्ड में राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड से निर्माण एवं विकास कार्य हेतु अंकन रू0 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) के निर्माण एवं विकास कार्य पार्षद की संस्तुति पर कराये जाने हेतु वार्ड वार रू0 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) व्यय करेन, इस प्रकार 10.50 करोड़ रूपया व मा0 महापौर की संस्तुति पर निर्माण एवं विकास कार्य हेतु अंकन रू0 2,50,00,000/–(ढाई करोड़) का व्यय करने सम्बन्धित विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।
17— मुख्य अभियन्ता (सिविल) की आख्यानुसार कृष्णा नगर स्थित मयंक गैस सर्विस के सामने निगम की खाली भूमि पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा ने अपने बोर्ड प्रस्ताव सं0 14 दिनांक 20.09.2010 द्वारा श्री सनातन धर्म मन्दिर ट्रस्ट कृष्णा नगर मथुरा को बच्चों के पार्क के विकास हेतु सशर्त अनुमति दी गई थी, परन्तु आज दिनांक तक ट्रस्ट द्वारा इस कार्य में कोई रूचि नहीं ली गई, जमीन आज भी पूर्ववत् स्थिति में है एवं अवैध कब्जे की सम्भावना बनी हुई है। उक्त परिस्थितियों में नगर पालिका परिषद मथुरा के प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.09.2010 को निरस्त करते हुये रिक्त लगभग 1900 वर्ग मी0 खाली भूमि पर पथ विक्रेताओं के लिये फ़ूड पार्क बनाये जाने सम्बन्धित विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।

कमशः 06

18— मुख्य अभियन्ता (सिविल) की आख्यानुसार जुबली पार्क स्थित नगर निगम की दो एकड़ भूमि पर 02फ्लोर पार्किंग, 150 पथ विक्रेताओं एवं लोगों के बैठने हेतु कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित। सदन के आगामी अधिवेशन प्रस्तुत किया जाये।
19— मुख्य अभियन्ता (सिविल) की आख्यानुसार पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा की सीमान्तर्गत जनहित में क्षेत्रीय जनता एवं सभासदों की मांग पर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा विभिन्न वार्डों में कुटेशन के आधार पर विकास कार्य संलग्न सूची अनुसार (01 लगायत 14) रू0 12,28,990/— कराये गये थे। जिनका भुगतान लम्बित है। जो किया जाना है। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।
20— मुख्य अभियन्ता (सिविल) की आख्यानुसार कि, उ0प्र0 पर्यटन विभाग की प्रो—पूअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत वृन्दावन मांट रोड़ पर डम्पिंग ग्राउण्ड के सामने कान्हा पशु आश्रय योजना से लगी भूमि जिसक क्षेत्रफल 10000 वर्ग मीटर है, पर उक्त योजना के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।
21— कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार उ0प्र0 निगम अधिनियम 1959 की धारा 385, 541 (1),541 (19),541 (26), 541 (29),541 (36),541 (42) एवं धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के दृष्टिगत नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा ''नगर निगम मथुरा—वृन्दावन के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधियॉ 2017'' तैयार कर कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।
22— महाप्रंबन्धक (जलकल) की आख्यानुसार धुव्रधाट क्षेत्र मे मीठे पानी की समस्या के निदान हेतु धुव्रधाट क्षेत्र मे नगर निगम भूमि पर बडे नलकूप 120 मी0 गहराई एवं 12''/08'' डाया एम0एस0 केसिगं पाइप के साथ निर्माण कार्य कराया जाना है। जिससे पर लगभग रू0 15 लाख का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है जिसकी निविदा प्रक्रिया आंमत्रित करने एवं नलकूप लगाने सम्बन्धी विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।

23–महाप्रबंन्धक (जलकल) की आख्यानुसार बंगालीधाट क्षेत्र मे मीठे पानी की समस्या के निदान हेतु बंगालीधाट क्षेत्र मे नगर निगम भूमि पर बडे नलकूप 120 मी0 गहराई एवं 12''/08'' डाया एम0एस0 केसिगं पाइप के साथ निर्माण कार्य कराया जाना है। जिससे पर लगभग रू0 15 लाख का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है जिसकी निविदा प्रक्रिया आंमत्रित करने एवं नलकूप लगाने सम्बन्धी विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।

24–प्रकाश निरीक्षक की आख्याानुसार नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के विभिन्न वार्डों के मुख्य पार्कों एवं मुख्य चौराहों पर दस मीटर जी0आई0 ऑक्टोगोनल पोल स्थापित करते हुये छः लाइट वाले सेमी हाई मास्क लाइट लागये जाने हैं जिसमें एल0ई0डी0 लाइटें ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा एवं शेष कार्य निगम द्वारा कराया जाना है। 70नग सेमी हाई मास्क लाइटों की स्थापना पर रू0 49 लाख का अनुमानित व्यय होगा। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।

25– प्रार्थनापत्र पार्षदगण श्री रामदास, श्री रूप सिंह पटेल, श्री पाल सिंह, श्रीमती यशोदा पटेल कि वार्डो की जनहित समस्या के पत्राचार के लिये नगर निगम मथुरा वृन्दावन के लेटर पैड एवं वार्डो की मोहर उपलब्ध करानें की मॉग की है। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कार्यकारिणी–समिति अवगत हुयी। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित।

हस्ताक्षर– मुकेश आर्य बन्धु
(महापौर)

दिनांक– 09.02.2018

कार्यकारिणी–समिति का प्रथम अधिवेशन जो दिनांक 09.02.2018 दिन शुक्रवार को स्थान नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा जनरलगंज स्थित कार्यालय में अपरान्ह 02:00 बजे सम्पन्न हुआ।

<u>उपस्थिति</u>

00	श्री मुकेश आर्य बन्धु जी	महापौर
01	श्रीमती अंजली जी	सदस्य
02	श्रीमती अनीता जी	सदस्य
03	श्री रूप सिंह जी	सदस्य
04	श्री मेधश्याम जी	सदस्य
05	श्री तिलकवीर जी	सदस्य
06	श्री राजेश सिंह जी	सदस्य
07	श्री विष्णु जी	सदस्य
08	श्रीमती मीरा अग्रवाल जी	सदस्य
09	श्री रामदास जी	सदस्य
10	श्री हेमन्त अग्रवाल जी	सदस्य
11	श्री धुव्र नारायण शर्मा जी	सदस्य
12	श्री वैभव अग्रवाल जी	सदस्य